न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 65 / 2025	2025 / 316	19.11.2025	31.12.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, ग्राम भंडवारा, तहसील अलवर जिला, अलवर, राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 उपस्थित मिले। श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह की दुकान पर मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :— —विभागीय प्रतिनिधि।

1. प्रवर्तन अधिकारी

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 उपस्थित मिले। श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह की दुकान पर मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 09.10.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अमित कुमार यादव, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, ग्राम भंडवारा, तहसील अलवर, जिला अलवर की स्टेशन रोड टी—प्वाईंट के पास, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे।

मौके पर श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, ग्राम भंडवारा, तहसील अलवर, जिला अलवर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 उपस्थित मिले। श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह की दुकान पर मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर को मै० गोविन्द गेस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री सोनू सैनी पुत्र श्री प्रकाश चंद सैनी, निवासी लखण्डा वाला कुंआ, अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, ग्राम भंडवारा, तहसील अलवर, जिला अलवर की स्टेशन रोड टी–प्वाईट के पास, अलवर स्थित दुकान पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी भगवान सिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर व अन्य उपकरणों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी के द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 20 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 मोटर, 1 वेईंग मशीन एवं 5 रेग्यूलेटर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)